



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 01 जुलाई, 2026 ई0

आषाढ़ 10, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 1252/X-3-26/01(170)/2015

देहरादून, 01 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-37

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अंतर्गत कोटिला-ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 03.85 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद की 07.700 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खेत नम्बर	कुल क्षेत्रफल (है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अल्मोड़ा	बिल्लेख	62	5998 5999	7.430 0.270	7.430 0.270	वर्ग 9(3)ड बंजर काबिल आबाद
				योग-		7.700	

- 1-संरक्षित वन का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।
 2-उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,
 कल्याणी,
 अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1252/X-3-26/01(170)/2015, Dehradun dated July 01, 2026 for general information:

File No. 1252/X-3-26/01(170)/2015

Dated Dehradun, July 01, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act No. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare 07.700 hectare land of category-9(3)e Banjar Kabil Aabad owned by the State Government, transferred by District Magistrate, Almora to the Forest Department for compensatory plantation in respect of 03.85 hectare forest land transferred for the construction of motor road from Kotila-Gwad to Suraikehet in tehsil Ranikhet of Almora District, details of which is given in the table below, as forest land as well as protected forest, for the purposes of Chapter IV of the said Act.

Table

Sr. No.	District	village	Khata No.	Khet No.	Total Area (in Hectares)	Area acquired for compensatory plantation (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Almora	Billekh	62	5998 5999	7.430 0.270	7.430 0.270	Category-9(3)e Banjar Kabil Aabad
					Total:-	7.700	

2- The protected forest shall be demarcated and Pillars shall be constructed.

3- The area to be transferred in the name of the Forest Department in the land records, mentioned in table above, is free from any claim of rights and concessions,

By Order,

KALYANI,

Additional Secretary.